

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या:-160/08

जीसीएमएस नं. 2008/00093

दायर दिनांक:- 08.10.2008

1. गीतादेवी पुत्री श्री रामरघुवीर कटारा जाति ब्राह्मण निवासी फुलवाडी दरवाजा बैर तहसील बैर जिला भरतपुर

—वादिया—

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी नयागाँव तहसील टोडाभीम हाल आबाद हिण्डौन जिला करौली
2. जगदीश पुत्र सम्पत जाति राय निवासी जाट की सराय हिण्डौन (न्यायाल आदेश से डिलीट)
3. राधेश्याम पिसरान परसादी जाति राय निवासी जाट की सराय
4. रामस्वरूप हिण्डौन जिला करौली
5. मोहन पुत्र रामादेवी जाति राय निवासी जाट की सराय हिण्डौन
6. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी
7. मुकेश पुत्र रामादेवी जाति राय निवासी जाट की सराय हिण्डौन (न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2011 से जोडा गया)
8. घासीलाल पुत्र रेवती प्रसाद जाति महाजन निवासी केशवपुरा हिण्डौन
9. राधाकिशन पुत्र छिद्रोसिंह जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील बयाना जिला भरतपुर (न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2011 के अनुसार प्रतिवादी नं0 8, 9 जोडे गये।)

—प्रतिवादी—09


दावा बाबत तकास्मा, इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा,

मुकदमा नं0 160/08

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट एवं श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि आराजी खसरा नं0 1795/1 रकवा 0.46 है0 बारानी-ए वादी गीतादेवी को तथा आराजी खसरा नं0 1651 रकवा 0.49 है0 प्रतिवादी संख्या 8 घासीलाल, प्रतिवादी संख्या 9 राधाकिशन को समान एवं आराजी खसरा नं0 1795/2 रकवा 0.04 है0 प्रतिवादी संख्या 5 मोहन, प्रतिवादी संख्या 7 मुकेश को वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन में खाता अलग-अलग करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बटवारा स्कीम के साथ नक्शा ट्रेस निर्णय का एक भाग रहेगा इसी नक्शे के आधार पर पटवार मण्डल में उपलब्ध लट्ठा शीट में तरमीम होगी। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादिया की खातेदारी खसरा नं0 1795/1 रकवा 0.46 है0 वाके ग्राम हिण्डौन में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। वादिया को शांति पूर्वक अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने देवें ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादिया के हकहकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। वादिया उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने की अधिकारी है, पक्षकारान अपना-अपना खर्चा बहन करेंगे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.04.2024..को यह जारी की गई।




(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली